न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 31/2022

शीर्षक

1. श्रीमती झूमा देवी पत्नी श्री मोहनलाल
2. मोहनलाल पि. मु. चन्द्रा जायन्दा पुत्र कालू
3. जगदीश प्रसाद पुत्र सोनाराम

समस्त व्यस्क जाति जाट निवासी ढाणी सामेता की ग्राम जाजै उर्फ बिशनपुरा वार्ड नं0 28 शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भूरा
2. श्रीमती सुन्दरी बेवा स्व0 श्री भूरा
3. जगदीश पुत्र चन्दा

4. मंगली
5. कोयली
6. कमली देवी
7. माना देवी

} पुत्रियान चन्दा

8. श्रीमती ज्याना देवी पत्नी महादेव

9. तेजाराम
10. सुवालाल
11. बोदूराम
12. धूडाराम
13. ग्यारसीलाल
14. बाबूलाल

} पुत्रान महादेव

समस्त व्यस्क जाति जाट निवासी ढाणी खेडा की ग्राम जाजै उर्फ बिशनपुरा फैक्ट्री एरीया के पास वार्ड नं0 28 शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

15. तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ति इन्द्राज घोषणा खातेदारी बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 27/7/2023

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0न0 1297 रकबा 0.27 है0, 1298 रकबा 0.15, 1299 रकबा 0.59 है0 कुल किता 3 रकबा 1.01 है0 का हिस्सा 1/3 + 1/6 कुल हिस्सा 1/2 जिसके बंटवारा में वर्तमान ख0 न0 1297/3 रकबा 0.01 है0, 1298/2 रकबा 0.03 है0, 1299/1 रकबा 0.11है0, 1299/3 रकबा 0.11 है0, 1299/4 रकबा 0.11 है0, 1297/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 रकबा 0.50 है0 भूमि वाकै ग्राम जाजेखुर्द उर्फ बिशनपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है।
2. यह कि उक्त जिमन नं0 1 में वर्णित भूमि वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 लगा0 14 के पूर्वज चंदा, महादेव से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। वादीगण को विक्रेतागण प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 भूमि वादग्रस्त के पूर्व खातेदार कजोड पुत्र मांगू के वारिसान है।
3. यह कि वादीगण के क्रय पत्र दिनांक 06.03.2002 का नामान्तकरण सं0 194 दिनांक 04.03.2002 तथा क्रय पत्र दिनांक 26.03.2003 का नामान्तकरण सं0 213 दिनांक 23.05.2003 को राजस्व रिकार्ड जामबंदी में अमल हो गया। वादीगण के पक्ष में निर्मित नामान्तकरणो का

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

जमाबंदी संवत 2055 से 2059 में अंकन हो गया । वादीगण के पक्ष में हुआ जमाबंदी का उक्त इंद्राज जमाबंदी संवत 2060 से 2063 , संवत 2064 से 2067 , संवत 2068 से 2071 तक यथावत रूप में चलता रहा है। वादीगण का नाम भूमि वादग्रस्त के विक्रय पत्र में वर्णित ख0न0 1297, 1298, 1299 कुल किता 3 रकबा 1.01 है के हिस्सा 1/2 भाग में मुताबिक क्रय पत्र राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज चलता रहा तथा शेष हिस्सा 1/2 भाग में पूर्व से चलते आ रहे हिस्सादारान सह खातेदारान का नाम यथावत चलता रहा। सहखातेदारान हिस्सा 1/2 भाग के खातेदारान भूरा, भीवा, पिता बिरदू, गोपाल, सुरज, पांचू पिता मुरली रहे है।

4. यह कि उक्त खसरा न0 1297, 1298, 1299 के सहखातेदारान गोपाल, सुरज, पांचू, पुत्रान मुरली ने वर्ष 2002 में शेष सहखातेदारान के विरूद्ध दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा सं0 148/2002, 54/04 पुन दर्ज 152/2009 उनवानी गोपाल वगै0 बनाम गिरधारी वगै0 का निर्णय दिनांक 05.03.2010 को हुआ। इस निर्णय डिक्री दिनांक 05.03.2010 की पालना नामान्तकरण सं0 367 दिनांक 22.04.2011 के द्वारा की जाकर जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 3 लगायत 14 के पूर्वज महादेव चन्दा का नाम वादीगण के स्थान पर गलत एवं नाजायज रूप में बिना किसी कानूनी हक अधिकार के दर्ज कर दिया। निर्णय डिक्री दिनांक 05.03.2010 के प्रकरण में वादीगण को न तो पक्षकार बनाया गया एवं नही पटवारी हल्का व तहसीलदार शाहपुरा ने कोई सूचना दी बल्कि वादीगण का वैध रूप में खातेदारी से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को नाजायज रूप में हटा दिया गया। जब वादीगण ने निर्णय डिक्री दिनांक 05.03.2010 में पक्षकार के रूप में संस्थित ही नही किये गये तो फिर वादीगण का नाम जमाबंदी में किसी भी कदर नही हटाया जा सकता है। इसके साथ ही निर्णय डिक्री दिनांक 05.03.2010 में वादीगण के विरूद्ध को कोई आदेश पारित नही यिका गया है। इन सभी कारणो से वादीगण के खातेदारी राजस्व रिकार्ड से वादीगण का नाम गलत रूप में पृथक किया गया है जो वादीगण के विरूद्ध शून्य एवं शून्य प्रभावी है।

5. यह कि वादीगण की खरीद शुदा भूमि के तथ्यो को उक्त जिमन नं0 4 में वर्णित दावा सं0 148/2002 (54/04) पुन दर्ज 152/2009 में पक्षकारान वाद गोपाल बनाम गिरधारी वगै0 ने किसी ने भी उक्त प्रकरण में कोई कथन नही किया तथा वादीगण को विक्रय से पूर्व की जमाबंदी एवं राजस्व रिकार्ड को आधार बनाकर बंटवारा का निर्णय डिक्री दिनांक 05.03.2010 पारित कर दिया जबकि भूमि रकबा 1.01 है0 पर वादीगण हिस्सा 1/3 भाग पर दिनांक 06.03.2002 से तथा हिस्सा 1/6 भाग पर दिनांक 26.03.2003 से काबिज काश्त चलते आ रहे थे इस कारण बंटवारा के दावा में वादीगण भूमि के खातेदार काबिज काश्त होने से आवश्यक पक्षकार वाद थे जिन्हे पक्षकार वाद नही बनाया गया तथा बाला–बाला दावा निर्णय डिक्री करा लिया जो वादीगण के विरूद्ध शून्य प्रभावी है जो वादीगण पर प्रभावी नही है। निर्णय डिक्री दिनांक 05.03.2010 को तथा राजस्व रिकार्ड के तथ्यो को देखते ही यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित दावा साजिसपूर्ण तरीके से न्यायलय से सही तथ्यों को छुपाते हुये भूमि वादग्रस्त का बंटवारा कराया है तथा प्रतिवादीगण सं 1, 2, 3 लगायत 14 के पूर्वज चन्दा, महादेव को बिना किसी हक अधिकार के पक्षकार बनाकर भूमि वादग्रस्त का बंटवारा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया है। जो शून्य एवं शून्य प्रभावी गलत एवं प्रभावहीन है।

6. यह कि वादीगण द्वारा खरीदशुदा भूमि हाल आराजी ख0न0 1297 रकबा 0.27 है0, 1298 रकबा 0.15, 1299 रकबा 0.59 है0 कुल किता 3 रकबा 1.01 है0 का हिस्सा 1/3 + 1/6 कुल हिस्सा 1/2 भाग के अब वर्तमान में उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 05.03.2010 के द्वारा बंटवारा से कायम ख0 न0 1297/3 रकबा 0.01 है0, 1298/2 रकबा 0.03 है0, 1299/1 रकबा 0.11है0, 1299/3 रकबा 0.11 है0, 1299/4 रकबा 0.11 है0, 1297/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 रकबा 0.50 है0 पर वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण उक्त भूमि के खरीदने के बाद सहखातेदारान गोपाल, सूरज, पांचू, गिरधारी, बन्नालाल, श्रीमती नाथी व भींवा के साथि मिलकर अपासी सहमति से आषाढ संवत 2060 में बाहमी तौर पर बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है।

7. यह कि वादीगण ने स्वयं ने अब दिनांक 29.07.2020 को अपनी भूमि के कृषि उपयोग के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने की गर्ज से राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर वादीगण के स्थान पर प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व चन्दा, महादेव का नाम अंकित हो जाने के तथ्य की जानकारी प्राप्त हुयी। वादीगण को उक्त तथ्यो की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादीगण की भूमि उनके नाम दर्ज करा लेने के बाबत उलाहना दिया तो उन्होने कहा कि उनको इस बात की कोई जानकारी नही है कि भूमि वादग्रस्त उनके पूर्वज चन्दा, महादेव तथा कैलाश, सुन्दरी के नाम दर्ज कर दी गई है। प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 ने स्वयं ने उनके नाम दर्ज कराने से इंकार किया तथा उन्होने यह भी कहा कि वे लोग

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कभी भी न्यायालय तहसीलदार या पटवारी के पास नही गये है। राजस्व रिकार्ड में जो भी फेरबदल हुआ हुई है वह सब गोपाल, सूरज, पांचू आदि ने ही कराई है। प्रतिवादीगण ने यह भी स्वीकार किया कि वादीगण जब भी चाहेगे हम लोग वादीगण के पक्ष में बयान कर देगें परन्तु अब दिनांक 15.07.2021 को प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 के घर जाकर वादीगण के पक्ष में बयान करने के लिए दवाब डालकर कहा तो वे लोग टालमटोल करते हुये इन्कार हो गये कि हम कही नही जावेगे आप स्वयं अपने आप करवा लो। प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 ने दिनांक 15.07.2021 को इंकार कर इंकारी से वैधानिया ऐलानिया धमकी दी है।

8. यह कि वादीगण का भूमि वादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड खातेदारी से बिना कारण नाम पृथक कर दिया गया जबकि वादीगण ने प्रतिवादीगण सं 1, 2, 3 लगा0 14 के पूर्वज चन्दा, महादेव से उचित प्रतिफल का उनको भुगतान कर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि वाद ग्रस्त खरीद कर काबिज काश्त चले आ रहे है जो अपनी इस खरीद शुदा भूमि के खातेदारी अधिकारो की अपने पक्ष में घोषणा कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 को हमेशा–हमेशा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है कि भूमि वादग्रस्त को वादीगण हमेशा–हमेशा शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग करते रहे एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 मदालखत बेजा नही करे।

9. अन्त में निवेदन है कि आराजी ख0 न0 1297/3 रकबा 0.01 है0, 1298/2 रकबा 0.03 है0, 1299/1 रकबा 0.11है0, 1299/3 रकबा 0.11 है0, 1299/4 रकबा 0.11 है0, 1297/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 रकबा 0.50 है0 भूमि वाकै ग्राम जाजेखुर्द उर्फ बिशनपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर राज0 का वादीगण को बहिस्सा बराबर – बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जावे एवं प्रतिवादीगण सं0 1, 2 व प्रतिवादीगण सं0 3 लगा0 14 के पूर्वज चन्दा, महादेव का नाम हजफ फरमाया जावे। तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 को हमेशा हमेशा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीगण को उक्त वर्णित भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदालखत बेजा नही करे।

वादपत्र पेश होने विधिवत रिपोर्ट ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से भी की गई लेकिन तहसीलदार को नोटिस तामिल कराया जाकर प्रतिवादीगण के हाजिर अदालत नही आने पर दिनांक 17.07.2023 को विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वादीगण का वाद पत्र का एक पक्षीय रूप में होने से वादीगण ने एक पक्षीय रूप में साक्ष्य पेश किये साक्ष्य में पीडब्लू 1 श्रीमती झूमा देवी पीडब्यू 2 मोहनलाल पीडब्लू 3 जगदीश प्रसाद वादीगण पीडब्लू 4 शंकरलाल गुर्जर पीडब्लू 5 मालीराम सामोता शाहदत खाने पेश हुए। लिखित दस्तावेजात ने संवत 2074 से 2077 खाता संख्या 208 प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता सं0 161 2060–63 प्रदर्श 2 जमांबदी 2064–67 खाता सं0 173 प्रदर्श 3 जमाबंदी खाता स0 168 संवत 2068–71 प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत 2072–75 खाता सं0 34 प्रदर्श 5 जमाबंदी खाता सं0 203 संवत 2072–75 प्रदर्श 6 नामांतरण सं0 367 प्रदर्श 07 जमाबंदी खाता सं0 144 संवत 2048–57 प्रदर्श 8 नामांतरण सं0 2013 प्रदर्श 09 नामांतरण सं0 194 प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत 2052–55 खाता सं0 140 प्रदर्श 11, फोटो प्रति विक्रय पत्र कैलाश पुत्र भूरा व सुन्दरी बैवा एवं विक्रय पत्र चंद्रा, महादेव पुत्रान कजोड व नक्शा ट्रेस प्रदर्श 12 फोटो प्रति निर्णय फोटो प्रति दिनांक 05.03.2010 गोपाल बनाम गिरधारी दस्तावेजात पेश हुए। वकील वादीगण ने एक पक्षीय बहस कर वादीगण की खरीद शुदा राजस्व रिकार्ड में अमल हो जाना एवं तदंतर मूल खातेदारान द्वारा अपनी दिगर भूमि का बंटवारा भूमि का बंटवारा होने पर जरिये न्यायालय निर्णय डिक्री से बंटवारा प्रभाव में आया। वकील वादी ने यह भी स्पष्ट किया कि विक्रय पत्रो का अमल दरामद होने पर अमलदरामद के दस्तावेजात मूल खातेदारान ने अपने बंटवारे में पेश नही किये । व विक्रय पत्रो से पूर्व की जमाबंदी इत्यादी पेश कर अपने बंटवारे का दावा डिक्री करा लिया जिस पर निर्णय दिनांक 05.03.2010 का अमल होते समय पटवारी हल्का ने संवहन से वादीगण का नाम जमाबंदी से पृथक कर दिया जो कि धनीक रूप में खातेदार काश्त कार थे। वादीगणक्रय दिनांक से अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज चले आ रहे है। तथा मूल खातेदारान ने अपने बंटवारे में वादीगण के कब्जा खातेदारी की भूमि बंटवारे में प्रतिवादी सं0 1, 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 लगायत 14 के पूर्वज चंदा व महादेव के नाम प्राप्त होना निर्णित कराया है। चूकी वादीगण की वाद ग्रस्त भूमि पटवारी हल्का ने उक्त बंटवारा निर्णय की पालना में चंदा महादेव व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम ही दर्ज रिकार्ड की है जिसे वादीगण बंटवारा में अपने पक्ष में होना स्वीकार कर दावा पेश किया है तथा इस बंटवारा के अनुसार ही निर्णय डिक्री चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 15.07.2021 को खातेदारी अपने नाम कराने के लिये निवेदन किया। जिससे प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 ने इंकार किया जिससे वाद कारण पैदा होकर वादीगण ने दावा पेश किया तथा

वादीगण ने प्रतिवादीगण द्वारा इंकारी से भूमि वाद ग्रस्त के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करना मानते हुये वाद पत्र व साक्ष्य से साबित किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया । बहस पर मनन किया। दस्तावेजात एवं मौखिक बयानात का पठन किया। जिससे वादीगण का दावा दुरूस्ती इंद्राज घोषणा खातेदारी बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बखूबी साबित होना पाया जाता है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आराजी ख0 न0 1297/3 रकबा 0.01 है0, 1298/2 रकबा 0.03 है0, 1299/1 रकबा 0.11है0, 1299/3 रकबा 0.11 है0, 1299/4 रकबा 0.11 है0, 1297/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 रकबा 0.50 है0 भूमि वाकै ग्राम जाजेखुर्द उर्फ बिशनपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण सं0 1, 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 लगा0 14 के पूर्वज चन्दा महादेव पि0 कजोड का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 31/2022

शीर्षक

1. श्रीमती झूमा देवी पत्नी श्री मोहनलाल
2. मोहनलाल पि. मु. चन्द्रा जायन्दा पुत्र कालू
3. जगदीश प्रसाद पुत्र सोनाराम

समस्त व्यस्क जाति जाट निवासी ढाणी सामेता की ग्राम जाजै उर्फ बिशनपुरा वार्ड नं0 28 शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

वादीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भूरा
2. श्रीमती सुन्दरी बेवा स्व0 श्री भूरा
3. जगदीश पुत्र चन्दा
4. मंगली
5. कोयली
6. कमली देवी } पुत्रियान चन्दा
7. माना देवी
8. श्रीमती ज्याना देवी पत्नी महादेव
9. तेजाराम
10. सुवालाल
11. बोदूराम
12. धूडाराम } पुत्रान महादेव
13. ग्यारसीलाल
14. बाबूलाल

समस्त व्यस्क जाति जाट निवासी ढाणी खेडा की ग्राम जाजै उर्फ बिशनपुरा फैक्ट्री एरीया के पास वार्ड नं0 28 शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

15. तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ति इन्द्राज घोषणा खातेदारी बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 27/7/2023

अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता हैं कि आराजी ख0 न0 1297/3 रकबा 0.01 है0, 1298/2 रकबा 0.03 है0, 1299/1 रकबा 0.11है0, 1299/3 रकबा 0.11 है0, 1299/4 रकबा 0.11 है0, 1297/2 रकबा 0.13 है0 कुल किता 6 रकबा 0.50 है0 भूमि वाकै ग्राम जाजेखुर्द उर्फ बिशनपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में प्रतिवादीगण सं0 1, 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 लगा0 14 के पूर्वज चन्दा महादेव पि0 कजोड का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 14 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/7/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	